<u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल</u> (<u>पीठासीन अधिकारी — श्रीमती मीना शाह</u>)

<u>व्य.वाद. क्रमांक:- 13ए / 16</u> <u>संस्थापन दिनांक:--11.03.2014</u> फाईलिंग नं. 233504000232014

फूलाबाई पति जयप्रकाश चौकीकर उम्र 40 वर्ष, निवासी भीमनगर आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

..... वादी

वि रू द्व

- 1. तुलाराम पिता ढोमन्या उर्फ भोपत, उम्र 80 वर्ष
- 2. तुलसीबाई पति तुलाराम, उम्र 75 वर्ष
- हरिराम पिता तुलाराम, उम्र 43 वर्ष
 क. 1 से 3 निवासी बोरगांव, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 4. किसनीबाई पति पंजाबराव, उम्र 50 वर्ष निवासी पटेल वार्ड मानस नगर बैतूल तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 5. ठगनुबाई पति दिनेश वाईकर, उम्र 32 वर्ष निवासी दमुआ, नं. 12 खदान 24—25 के पास, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
- 6. फुलसीबाई पति श्यामराव चौकीकर उम्र 45 वर्ष निवासी सुभाष नगर पाथाखेड़ा, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 7. अनुसुइया बाई पित धनराज सातनकर, उम्र 34 वर्ष निवासी कुंबी मोहल्ला आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 8. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

.....प्रतिवादीगण

<u> -: (निर्णय) :-</u>

(आज दिनांक 22.02.2017 को घोषित)

1 वादी द्वारा यह दावा ख.नं. 59 रकबा 2.832 हे. स्थित ग्राम बोरगांव तहसील आमला जिला बैतूल (अत्र पश्चात विवादित भूमि से संबोधित) की स्वत्व घोषणा तथा बंटवारा तथा बंटवारा उपरांत पृथक आधिपत्य एवं उक्त आधिपत्य में प्रतिवादीगण को हस्तक्षेप से निषेधित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

- 2 प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य वंशवृक्ष स्वीकृत है। वर्तमान में विवादित भूमि प्रतिवादी क. 01 तुलाराम एवं प्रतिवादी क. 03 हरिराम के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होना स्वीकृत है। वादी का प्रतिवादी क. 01 की पुत्री होना एवं अन्य प्रतिवादीगण उसके परिवार के होना भी स्वीकृत है।
- वादी द्वारा प्रस्तुत दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिवादी क. 01 एवं 02 वादी के पिता एवं माता है तथा शेष प्रतिवादी क. 03 से 07 उसके भाई—बहन हैं। विवादित भूमि पैतृक होकर संयुक्त परिवार की है। वादी के पिता तुलाराम ने अपने पुत्र हरिराम प्रतिवादी क. 03 के साथ विवादित भूमि का बंटवारा वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण का हक समाप्त करने के उद्देश्य से कर दिया है तथा बंटवारा अनुसार अपना नाम भी दर्ज करा लिया है। जबकि विवादित संपत्ति पैतृक होने से वादी का भी उस पर हक एवं हिस्सा है। अतः वादी के द्वारा यह दावा विवादित भूमि के अपने हिस्से की स्वत्व घोषणा, बंटवारा, आधिपत्य प्राप्ति एवं तत्पश्चात प्रतिवादीगण को उसके आधिपत्य में प्रतिवादीगण को हस्तक्षेप करने से निषेधित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 4 प्रतिवादी क. 01 से 07 के द्वारा संयुक्त रूप से लिखित में जवाबदावा पेश कर उसमें यह अभिवचन किया गया कि विवादित संपत्ति प्रतिवादी क. 01 तुलाराम की एकमात्र स्वत्व की संपत्ति है जो कि उसे बंटवारे में प्राप्त हुई। तत्पश्चात उसका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी तुलाराम विवादित भूमि का अपनी इच्छानुसार व्ययन करने के लिए स्वतंत्र है। वादी अपने पिता के जीवनकाल में बंटवारे की मांग नहीं कर सकती है। अतः दावा प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किया जावे।
- 5 वाद के उचित न्यायपूर्ण निराकरण हेतु पूर्व पीठासीन अधिकारी द्व ारा निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी और साक्ष्य विवेचना उपरांत उनके समक्ष मेरे द्वारा निष्कर्ष अंकित किये गये हैं :-

酉.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादिनी का ग्राम बोरगांव प.ह.नं. 40, तहसील आमला जिला बैतूल में स्थित विवादित भूमि ख.नं. 59, रकबा 5.180 हे. पर प्रतिवादीगण के समान ही समान हक है ?	
2.	क्या वादी विवादित भूमि का बंटवारा कराकर पृथक आधिपत्य पाने की अधिकारी है ?	

3.	क्या प्रतिवादीगण विवादित भूमि को हस्तांतरण न करें?	
4.	क्या वादी द्वारा प्रस्तुत दावा किसी अन्य विधि द्वारा वर्जित है ?	
5.	सहायता एवं वाद व्यय ?	

विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष वाद प्रश्न क. 01 एवं 02 का निराकरण

- 6 वादी का यह अभिवचन है कि विवादित संपत्ति ख.नं. 59/1 रकबा 2.832 हे. पैतृक होने से उसका भी प्रतिवादी क. 1 से 7 के साथ समान हक है। जबकि प्रतिवादी क. 1 से 7 का यह अभिवचन है कि विवादित संपत्ति मात्र प्रतिवादी क. 01 तुलाराम के स्वत्व की संपत्ति है।
- 7 फूलाबाई (वा.सा.—1), हिरशंकर (वा.सा.—2) व जयप्रकाश (वा.सा.—3) ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में विवादित संपत्ति पैतृक होना बताया है। जबिक प्रतिवादी तुलाराम (प्र.सा.—1) ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में यह बताया है कि वह उसके स्वयं की संपत्ति है जिसे उसने अपनी सभी पुत्रियों की सहमित से पुत्रियों के विवाह उपरांत अपने पुत्र हिराम को बंटवारे में दे दी है। वादी फूलाबाई (वा.सा.—1) ने यह बताया है कि विवादित भूमि पैतृक संपत्ति है तथा उसके पिता तुलाराम के द्वारा क्य नहीं की गयी है। उपर्युक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि विवादित संपत्ति का उसके पिता द्वारा बंटवारा कर दिये जाने के वाद उसके द्वारा तहसील न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
- हिरशंकर (वा.सा.—2) ने अपने कथनों में यह बताया है कि वह आमला में निवासरत है तथा ग्राम बोरगांव स्थित विवादित संपत्ति के बारे में उसे जानकारी फूलाबाई से प्राप्त हुई है। अतः उपर्युक्त साक्षी की साक्ष्य से विवादित संपत्ति के तुलाराम की पैतृक या स्वअर्जित होने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। जयप्रकाश (वा.सा.—3) ने अपने कथनों में यह बताया है कि वह वादी फूलाबाई का पित है तथा ग्राम बोरगांव स्थित भूमि पैतृक संपत्ति है जिसका प्रतिवादी क. 01 तुलाराम ने अपने बेटे के साथ बंटवारा वर्ष 2005 में कर लिया है। साक्षी ने यह भी बताया है कि जब वर्ष 2013 में जानकारी मिली तब उसकी पत्नी फूलाबाई (वा.सा.—1) ने अपने हिस्से के लिए दावा किया।

9 प्रतिवादी तुलाराम (प्र.सा.—1) ने अपने कथनों में यह बताया है कि उसके पिता ने अपने नाम से जमीन खरीदी थी परंतु पैसा उसने व उसके सभी भाईयों ने पिता को दिया था। पैरा क. 13 में साक्षी ने यह बताया है कि जब तक पिता जीवित थे तब तक जमीन उनके नाम पर थी। फिर पिताजी ने मौखिक बंटवारा कर दिया था जिसके आधार पर विवादित संपत्ति पर उसका नाम बंटवारे के समय से दर्ज हो गया। उपर्युक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि उसके सभी भाई दशरथ, इमरत, गोविंद व लक्ष्मण को जमीन मिली, किसी को कम तो किसी को अधिक। पैरा क. 15 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने अपने नाम पर आयी जमीन अपनी पुत्रियां किसनी, फूलाबाई, ठगनोबाई व फुलसीबाई व अनुसुईयाबाई की सहमित से अपने बेटे हिरराम को बंटवारे में दी तभी से उसके बेटे हिरराम (प्र.सा.—4) का नाम भी दर्ज हो गया।

10 हिरिराम (प्र.सा.—4) ने अपने कथनों में यह बताया है कि उसके दादा की संपत्ति उसके पिता तुलाराम को उनके अन्य भाईयों के साथ बंटवारे में मिली थी जो कि लगभग सात एकड़ थी। पैरा क. 13 में साक्षी ने यह बताया है कि उसके पिता को प्राप्त संपत्ति का बंटवारा उनके बीच तहसील में हुआ था जिसकी लिखापढ़ी हुई थी। सुझाव दिये जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि उसके पिता की संपत्ति में सभी बहनों का बराबर का अधिकार है। फुलसीबाई (प्र.सा.—2) व अनुसुईया (प्र.सा.—3) ने अपने कथनों में यह बताया है कि उनकी सहमति व इच्छा से पिता तुलाराम ने विवादित भूमि का बंटवारा अपने पुत्र हिरराम के साथ कर लिया है।

11 वादी ने दस्तावेज किश्तबंदी वर्ष 2003—04 व खसरा पांचसाला वर्ष 2004 से 2007 प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से विवादित भूमि ख.नं. 59/2 हरिराम के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रही है। किश्तबंदी वर्ष 2012—13 के अवलोकन से ख.नं. 59/4 तुलाराम के नाम व 59/2 हरिराम के नाम पर दर्ज होना प्रकट होती है।

12 वादी के द्वारा पटवारी प्रर्मिला (वा.सा.—4) को परीक्षित करवाया गया है। प्रमिला (वा.सा.—4) ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि वह अपने साथ वर्ष 1971—72 का अधिकार अभिलेख साथ लेकर आयी है। वर्ष 1971—72 के अधिकार अभिलेख में ख.नं. 59 रकबा 5.180 हे. पर ढोमन्या उर्फ भूपत का नाम दर्ज है तथा 1954—55 के अधिकार अभिलेख में भी ढोमन्या का नाम दर्ज है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि 1954—55 में दर्ज ख.नं. 45 का नवीन ख.नं. 59 वर्ष 1971—72 में बना, जिस पर ढोमन्या का नाम दर्ज है। साथ ही 1954—55 के अधिकार अभिलेख में बैनामा दिनांक 21.04.1950 के आधार पर ढोमन्या का नाम दर्ज होने की प्रविष्टि है। साथ ही उपर्युक्त साक्षी ने यह बताया है कि विवादित नम्बर के साथ ही अन्य खसरा नंबर भी 28/5, 38/1, 28,

45/1, 48/1, 48/2, 48/4, 48/5, 48/9, 63, 46/1 भी दर्ज है। उपर्युक्त साक्षी ने यह बताया है कि ख.नं. 59 के कितने बंटे नंबर हुए वह अभिलेख के आधार पर नहीं बता सकती है।

वादी का न तो यह अभिवचन है और न ही कोई साक्ष्य है कि वादी के पिता तुलाराम को विवादित संपत्ति कैसे प्राप्त हुई जबकि प्रतिवादी क. 01 तुलाराम ने विवादित संपत्ति अपने पिता ढोमन्या से मौखिक बंटवारे में अन्य भाईयों के साथ प्राप्त होना बताया है। वादी साक्षी प्रमिला (वा.सा.-4) के कथनों से भी यह प्रकट होता है कि प्रतिवादी क. 01 तुलाराम के पिता ढोमन्या के नाम विवादित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमियां भी थी। साथ ही यह भी बताया है कि क्य किये जाने के आधार पर अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 में ढोमन्या का नाम आया। स्पष्टतः विवादित भूमि सहित अन्य भूमियां प्रतिवादी क. 01 के पिता की स्वअर्जित भूमियां थी जिस पर जन्म से प्रतिवादी एवं उसकी संतानों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। वादी के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह दर्शित हो कि विवादित भूमि प्रतिवादी क. 01 तुलाराम को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। अतः ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जायेगा कि विवादित भूमि प्रतिवादी क. 01 तुलाराम को अपने पिता ढोमन्या से बंटवारे में मिली। इस अनुसार वह प्रतिवादी क. 01 तुलाराम की स्वअर्जित संपत्ति मानी जायेगी जिसका प्रतिवादी क. 01 तुलाराम अपनी इच्छानुसार व्यपन करने का अधिकारी है। स्पष्टतः प्रतिवादी क. 01 तुलाराम को विवादित भूमि का बंटवारा करने का अधिकार था।

यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक संपत्ति है। विवादित संपत्ति के प्रतिवादी क. 01 तुलाराम एवं प्रतिवादी क. 03 हरिराम के बीच में बंटवारे के संबंध में उभयपक्ष के द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तृत नहीं किये गये हैं परंतृ वादी ने अपने वाद पत्र में यह अभिवचन किया है कि दिनांक 11.10.2013 को तहसील आमला से नकल निकलवाये जाने पर उसे यह जानकारी मिली थी कि प्रतिवादी तुलाराम ने विवादित भूमि का बंटवारा उसके एवं प्रतिवादी क. 03 हरिराम के बीच करा लिया है। वादी के अभिवचन से ही यह प्रकट हो रहा है कि प्रतिवादी तुलाराम के द्वारा विवादित भूमि का तहसील न्यायालय के माध्यम से बंटवारा कराया गया है। वादी के द्वारा यह भी नहीं बताया गया है कि प्रतिवादी क. 01 तुलाराम के द्वारा विभाजन किस वर्ष किया गया। ऐसी दशा में वादी के द्वारा प्रस्तृत दस्तावेज किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2003-04 (प्रदर्श प्री-4) में वर्ष 2003 में विभाजन होना माना जायेगा। अर्थात वर्ष 2005 के पूर्व प्रतिवादी क. 01 तुलाराम ने विवादित भूमि का विभाजन कर दिया था। वर्ष 2005 के पूर्व पुत्रियों को पुत्र के समान सहदायिक की प्रास्थिति नहीं थी। वर्ष 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में किये गये संशोधन के पश्चात

पुत्रियों को पुत्र के समान सहदायिक का दर्जा दिया गया। अतः वर्ष 2005 के पूर्व ही विवादित संपत्ति का तहसील न्यायालय से विधिवत विभाजन हो जाने से विवादित भूमि सहदायिक नहीं रह गयी। अतः विवादित संपत्ति पर वादी का कोई हक होना नहीं पाया जाता है। अतः विवादित संपत्ति पर वादी का कोई हक न होने से वह बंटवारा करवाने की भी अधिकारी होना नहीं पायी जाती है। तदानुसार वाद प्रश्न क. 01 व 02 को "नहीं" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 03 का निराकरण

15 विवादित संपत्ति का प्रतिवादी क. 01 तुलाराम एवं प्रतिवादी क. 03 हरिराम के मध्य वाद प्रश्न क. 01 एवं 03 के निष्कर्ष अनुसार विधिवत बंटवारा होना प्रमाणित पाया गया है। बंटवारा उपरांत वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2012—13 प्रदर्श प्री—1 एवं प्रदर्श प्री—2 के अवलोकन से ख.नं. 59/4 प्रतिवादी तुलाराम के नाम एवं 59/2 प्रतिवादी हिरेराम के नाम दर्ज होना प्रकट हो रही हैं। स्पष्टतः प्रतिवादी तुलाराम एवं हिरेराम का विवादित संपत्ति पर विधिक स्वत्व एवं आधिपत्य है। अतः वे विवादित संपत्ति का अपनी इच्छानुसार व्ययन करने के लिए स्वतंत्र है। उन्हें प्रतिवादी तुलाराम एवं हिरेराम को विवादित संपत्ति के हस्तांतरण अथवा अन्यथा व्ययन से निषेधित नहीं किया जा सकता। तदनुसार वाद प्रश्न कमांक 03 "नहीं" के रुप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 04 का निराकरण

प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में यह अभिवचन किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत माता—िपता के जीवनकाल में पुत्री को बंटवारा कराने का कोई अधिकार नहीं है। अतः दावा विधि वर्जित है। न्यायालय के मत में वादी के द्वारा विवादित संपत्ति के पैतृक होने का अभिवचन करते हुए दावा प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में पुत्री द्वारा पैतृक संपत्ति के बंटवारे हेतु दावा विधि वर्जित नहीं माना जा सकता। तदानुसार वाद प्रश्न क. 04 "नहीं" के रुप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 05 का निराकरण

17 उपर्युक्तानुसार की गई साक्ष्य विवेचना के अनुसार वादी ने ग्राम बोरगांव, तहसील आमला जिला बैतूल में स्थित विवादित भूमि ख.नं. 59, रकबा 5.180 हे. के संबंध में दावा विधि द्वारा वर्जित न होना प्रमाणित किया है परंतु वादी विवादित संपत्ति पर अपना कोई भी हक होना प्रमाणित करने में असफल रही है। अतः वादी विवादित भूमि का बंटवारा कराकर पृथक आधिपत्य पाने की अधिकारी नहीं पायी जाती है। साथ ही विवादित भूमि पर वादी का हक प्रमाणित न होने से विवादित भूमि के किसी भी प्रकार के व्ययन से प्रतिवादीगण को निषेधित किये जाने की सहायता पाने की अधिकारी नहीं पायी जाती है। फलतः वादी द्वारा प्रस्तुत दावा निरस्त कर निम्न आशय की डिकी पारित की जाती है:—

- 1. वादी द्वारा प्रस्तुत दावा निरस्त किया जाता है।
- 2. वादी स्वयं के साथ—साथ प्रतिवादीगण का भी वाद व्यय वहन करेगी।
- 3. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्चे में जोड़ा जावे।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल